भाग–।।

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना स्कीम का स्थानः– कुड से कोटला मोटर मार्ग निर्माण, तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी,

(i)	राज्य संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	3.0415 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित एवं सोयम वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 से अधिक है।
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील क्षेत्र नहीं है
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा में अनुमानित दूरी	2,00 कि0मी0 आरक्षित वनभूमि
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिर्जव हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि है/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या सुरक्षित पुरातात्वीय/प्रारम्परिक स्थल/रथा प्रतिष्ठान और कोई	

अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। नही ।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जॉचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। प्रस्तावित भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

9. क्या वन अधिनियम के उल्लधंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नही) नही

10. यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लधंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है। नही

11. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस–पास के वन से इनकी दूरी भू–खण्डो की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। संलग्न है।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास की सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि। सलग्न है।

(vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। सलग्न है।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रवंन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। सलग्न है।

12. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत: उपर्युक्त कालम (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।

13. विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल 99279.707 है0 अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(ii) जिले का वन क्षेत्रफल 89379.711 है0 अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

(iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। 52 मामले, 61.48 है0 ,

(vi) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर। 144.27 है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर। x

(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।

(क) वन भूमि पर। ... ... 139.02 है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर। x

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है

14.

वन क्षेत्राधिकारी
चौड़ी रेन्ज (बड़कोट)

दिनांक 20/10/09

हस्ताक्षर............

नाम [गिरधारी सोनार]

स्थान बड़कोट

सरकारी मोहर............

प्रभारीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट